



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226485  
CG-DL-E-10042021-226485

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1405]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943

No. 1405]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

**का.आ.1516(अ).**—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957की धारा 11 (क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस [45] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित नीति:

दिल्ली डायनेमिक पार्किंग मानदंड नीति:

अ. परिभाषाएं:

- क. **मेट्रो कटौती (डिडक्शन):** यदि कोई संपत्ति मेट्रो स्टेशन से पैदल दूरी पर स्थित है, उस संपत्ति में पार्किंग मांग में एक निर्धारित प्रतिशत तक कटौती होगी अर्थात् मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए प्लॉट के अंदर पार्किंग की कटौती पार्किंग मानदंडों के 30 प्रतिशत की होगी तथा मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर से अधिक और 800 मीटर से कम की दूरी पर स्थित संपत्तियों हेतु प्लॉट के अंदर पार्किंग की कटौती पार्किंग मानदंडों के 15 प्रतिशत की होगी।

- ख. एम.एल.सी.पी. कटौती: यदि कोई एम.एल.सी.पी. किसी संपत्ति की 1.0 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित है, उस संपत्ति के अंदर पार्किंग मांग में 10 प्रतिशत तक की कमी होगी।
- ग. पार्किंग मानदंड : यह नीचे दिए गए सेक्शन स के अनुसार विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु प्रदान किए जाने वाले पार्किंग स्थलों (ई.सी.एस.) की संख्या है।
- घ. ई.सी.एस.: यह उपलब्ध कराया जाने वाला समतुल्य कार स्पेस है।

#### ब. अनुप्रयोज्यता

- क. ये संशोधित पार्किंग मानदंड उन सभी स्थलों/संपत्तियों पर लागू होंगे जहां संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नक्शे अनुमोदित किए जाने के बाद भी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे सभी मामलों में जहां नक्शे पहले ही अनुमोदित हो चुके हैं, संपत्तियों को इन संशोधित मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए और संबंधित स्थानीय निकाय को लिखित रूप में इसकी सूचना दी जाए तथा इसके लिए कोई अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

#### स. पार्किंग मानदंड:

क्रं.सं.	दि.यो.मु. 2021के अनुसार खंड	उपयोग जोन	पार्किंग जोन	
			मौजूदा प्रावधान (दिमुयो.2021)	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
1.	4.4.3 (ख)	आवासीय प्लॉट-समूह आवास	<ul style="list-style-type: none"> <li>निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग</li> <li>ईडब्ल्यूएस/ सेवा कार्मिक आवास के लिए निर्मित क्षेत्र के 0.5 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ईडब्ल्यू एस/सेवा कार्मिक आवास संबंधी आवासीय इकाई का आकार: 40 वर्ग मीटर से कम-0.5 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* के हिसाब से पार्किंग</li> <li>आवासीय इकाई का आकार:40 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक: 1.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* के हिसाब से पार्किंग</li> <li>आवासीय इकाई का आकार: 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक: 2.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई के हिसाब से पार्किंग</li> <li>आवासीय इकाई का आकार: 200 वर्ग मीटरसे ऊपर : 2.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* और अतिरिक्त 1.0 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के हिसाब से पार्किंग</li> <li>आवासीय इकाई आकार: कुरसी (प्लिथ) क्षेत्र सरकारी आवास परियोजनाओं के मामले में, पार्किंग मानदंड जीपीआरए कॉलोनियों के</li> </ul>

				मामले में अपनाए गए लागू मानदंडों के अनुसार होंगे।
2.	4.4.3 (ड)	हॉस्टल/गेस्ट हाउस/लॉजिंग एवं बोर्डिंग हाउस/धर्मशाला	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 0.5 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
3.	4.4.3 (च)	रैन बसेरा	निर्मित क्षेत्र के 500 वर्ग मीटर से कम आकार के प्लॉटों के लिए पार्किंग शून्य निर्मित क्षेत्र के 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉटों के लिए 2.0 ईसीएस के हिसाब से पार्किंग	कोई अनिवार्य पार्किंग प्रदान नहीं की जाती।
4.	4.4.3 (छ)	स्टूडियो अपार्टमेंट	निर्मित क्षेत्र, के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग बेसमेंट, यदि निर्मित है और केवल पार्किंग के लिए उपयोग की जाती है तो उपयोगिताओं और सेवाओं की गणना एफएआर के लिए नहीं की जाएगी।	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
5.	4.4.3 (ज)	राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
6.	तालिका 5.4	सामुदायिक केंद्र/गैर श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
7.	तालिका 5.4	जिला केंद्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट/उप नगर स्तरीय व्यावसायिक क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
8.	तालिका 5.4	व्यावसायिक प्लॉट: रिटेल एवं कॉमर्स मेट्रोपोलिटन सिटी सेंटर अर्थात् कर्नाट प्लेस और उसका एक्सटेंशन	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती

9.	तालिका 5.4	फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावसायिक परिसर	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
10.	तालिका 5.4	होटल	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
11.	तालिका 5.4	सर्विस अपार्टमेंट	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
12.	तालिका 5.4	आसफ अली रोड (दिल्ली गेट-अजमेरी गेट स्कीम में कमर्शियल स्ट्रिप के रूप में दर्शाया गया क्षेत्र)	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
13.	तालिका 13.2	अस्पताल/टिरटियरि हेल्थ केयर सेंटर	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती <b>सरकारी अस्पतालों हेतु</b> निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
14.	तालिका 13.2	अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं क. प्रसूति गृह नर्सिंग होम/पॉलीक्लिनिक डिस्पेंसरी	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
15.	तालिका 13.2	अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं क. परिवार कल्याण केंद्र बाल चिकित्सा केंद्र जरा चिकित्सा केंद्र डाईग्नोस्टिक सेंटर	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
16.	तालिका 13.2	क. पालतू पशु एवं पक्षियों हेतु पशु चिकित्सा अस्पताल ख. पालतू पशुओं एवं पक्षियों हेतु डिस्पेंसरी	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस 100/वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
17.	तालिका 13.2	मेडिकल कॉलेज	भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)/ विनियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग

				+ मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
18.	तालिका 13.2	नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान	निर्मित क्षेत्र के 2 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
19.	तालिका 13.2	पशुचिकित्सा संस्थान	भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई)/विनियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
20.	तालिका 13.2	कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, शारीरिक शिक्षा केंद्र आदि	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
21.	तालिका 13.4	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय	नियमित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए यथा लागू के समान	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
22.	तालिका 13.6	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक / व्यावसायिक/प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आदि)/ अनुसंधान एवं विकास केंद्र	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
23.	तालिका 13.6	जनरल कॉलेज	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
24.	तालिका 13.6	व्यावसायिक महाविद्यालय (प्रोफेशनल कॉलेज) (तकनीकी)	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
25	तालिका 13.6	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/ 100 वर्ग मीटर	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग

			के हिसाब से पार्किंग	+ मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
26	तालिका 13.6	कॉलेज	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
27	तालिका 13.17	बहुउद्देशीय समाज सदन	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
28	तालिका 13.17	बैंकवेट हॉल	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 6.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
29.	तालिका 13.17	सामुदायिक मनोरंजनात्मक क्लब (ऑडिटोरियम)	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
30.	तालिका 13.17	मनोरंजनात्मक क्लब	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
31.	तालिका 13.17	प्रदर्शनी एवं मेला ग्राउण्ड	वैधानिक अनापत्ति के अधीन	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
32.	तालिका 13.17	विज्ञान केंद्र	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती

33.	तालिका 13.17	अंतराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
34.	तालिका 13.17	सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
35.	तालिका 8.2	जिला न्यायालय, एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय)	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	क) जिला न्यायालय- निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती ख) एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय), के लिए – निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[फा सं. एफ.15(01)/2021-एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th April, 2021

**S.O.1516(E).**—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed

modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to [mpd2021.public@dda.org.in](mailto:mpd2021.public@dda.org.in) within a period of **Forty Five (45) days** from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

**Proposed Policy:**

**POLICY FOR DYNAMIC PARKING NORMS FOR DELHI**

**A. DEFINITIONS:**

- a. **Metro deduction:** If a property is located within a walkable distance from a Metro Station, the parking requirement within that property shall be reduced by a prescribed percentage viz. for properties located upto 500 m from a metro station, the deduction in parking within the plot shall be 30 percent of the parking norm and for properties located more than 500 m and less than 800 m from a metro station, the deduction in parking within the plot shall be 15 percent of the parking norm.
- b. **MLCP deduction:** If an MLCP is located within 1.0 km radius of any property, the parking requirement within that property shall be reduced by 10 percent.
- c. **Parking Norms:** These are the number of parking spaces ( ECS ) that are to be provided for various land uses, as given in section C below.
- d. **ECS:** This is the Equivalent Car Space that is to be provided.

**B. APPLICABILITY**

- a. These revised parking norms shall become applicable on all sites/properties where construction has not yet begun, even if the plans have been approved by the concerned local body. In all such cases where the plans have already been approved, the properties may be developed with these revised norms and the concerned local body may be informed of the same in writing and no separate permission for the same is needed to be taken.

**C. PARKING NORMS :**

S. No.	Clause as per MPD - 2021	Use Zones	PARKING NORMS	
			Existing Provisions (MPD 2021)	Proposed Amendments/Modifications
1.	4.4.3 (b)	<b>Residential Plot – Group Housing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parking @ 2.0 ECS / 100 m<sup>2</sup> of Built-up area</li> <li>• Parking @ 0.5 ECS / 100 m<sup>2</sup> Built-up area for EWS/ Service Personnel housing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EWS / Service Personnel Housing DU size: less than 40 sqm- Parking @ 0.5 ECS per DU*</li> <li>• DU size: 40sqm to 100 sqm :Parking @1.0 ECS per DU*</li> <li>• DU Size : 100 sqm to 200 sqm: Parking @2.0 ECS per DU*</li> <li>• DU Size : above 200 sqm: Parking @ 2.0 ECS per DU* and additional 1.0 ECS per 100 sqm or part thereof.</li> </ul> <p><i>* DU size : Plinth Area</i></p>



				<b>In case of Government Housing Projects, the parking norms shall be as per the applicable norms adopted in case of GPRA Colonies.</b>
2.	4.4.3 (e)	<b>Hostel / Guest House / Lodging &amp; Boarding House / Dharamshala</b>	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of Built-up area	Parking @ 0.5 ECS/100m <sup>2</sup> of Built-up area + Metro Deduction
3.	4.4.3 (f)	<b>Night Shelter</b>	Parking NIL, for plots measuring less than 500m <sup>2</sup> of built-up area  Parking @ 2.0 ECS for plots measuring more than 500m <sup>2</sup> of built-up area	No mandatory parking is to be provided
4.	4.4.3 (h)	<b>Studio Apartments</b>	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of Built-up area  Basement, if constructed, and used only for parking, utilities and services shall not be counted towards FAR.	Parking @ 1.0 ECS/100m <sup>2</sup> of Built-up area + Metro Deduction
5.	4.4.3 (i)	<b>State Bhawans/ State Guest houses</b>	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of Built-up area	Parking @ 1.0 ECS/100m <sup>2</sup> of Built-up area
6.	Table 5.4	<b>Community Centre / Non-hierarchical Commercial Centre</b>	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 3.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
7.	Table 5.4	<b>District Centre/ Sub-Central Business District / Sub- City Level Commercial areas</b>	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
8.	Table 5.4	<b>Commercial Plot: Retail &amp; Commerce Metropolitan City Centre i.e. Connaught Place &amp; its Extension</b>	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 3.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
9.	Table 5.4	<b>Commercial Complex at Fire Brigade Lane and Janpath Lane</b>	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 3.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction

				+ MLCP Deduction
10.	Table 5.4	Hotels	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction
11.	Table 5.4	Service Apartments	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area +Metro Deduction
12.	Table 5.4	Asaf Ali Road (the area shown as commercial strip in Delhi Gate – Ajmeri Gate scheme)	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
13.	Table 13.2	Hospital / Tertiary Health Care Centre	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction <b>For Government Hospitals</b> Parking @1.0 ECS /100sqm of built up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
14.	Table 13.2	Other Health Facilities a. Maternity Home Nursing Home / Polyclinic / Dispensary	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction
15.	Table 13.2	Other Health Facilities' b. Family Welfare Centre Paediatric Centre Geriatric Centre Diagnostic Centre	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction
16.	Table 13.2	(a) Veterinary Hospital for pet animals and birds (b) Dispensary for pet animals and birds	Parking @ 1.33 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100m <sup>2</sup> of built-up area
17.	Table 13.2	Medical College	As per norms of Medical Council of India (MCI) / Regulatory Body	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of Admin. Built-up area +

				Metro Deduction + MLCP Deduction
18.	Table 13.2	<b>Nursing and Paramedic Institute</b>	Parking @ 2 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of Admin. Built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
19.	Table 13.2	<b>Veterinary Institute</b>	As per norms of Medical Council of India / Regulatory Body	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of Admin. Built-up area
20.	Table 13.2	<b>Coaching Centre, Computer-Training Institute, physical Education Centre etc.</b>	Parking @ 1.33 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
21.	Table 13.4	<b>School for differently abled persons</b>	Same as applicable for regular Primary & Secondary schools	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area
22.	Table 13.6	<b>Vocational Training Centre (ITI/Polytechnic / Vocational/ Training Institute/ Management Institute/ Teacher Training Institutes etc.) / Research and Development centre.</b>	Parking @ 1.33 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
23.	Table 13.6	<b>General College</b>	Parking @ 1.33 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
24.	Table 13.6	<b>Professional College (Technical)</b>	Parking @ 1.33 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
25.	Table 13.6	<b>University Campus including International</b>	Parking @ 1.33 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area

		<b>Education Centre (IEC)</b>		+ Metro Deduction + MLCP Deduction
26.	Table 13.6	<b>College</b>	Parking @ 1.33 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
27.	Table 13.17	<b>Multipurpose Community Hall</b>	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
28.	Table 13.17	<b>Banquet Hall</b>	Parking @ 3.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 6.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area
29.	Table 13.17	<b>Community Recreational Club (Auditorium)</b>	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
30.	Table 13.17	<b>Recreational Club</b>	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
31.	Table 13.17	<b>Exhibition –cum - Fair Ground</b>	Subject to statutory clearances	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
32.	Table 13.17	<b>Science Centre</b>	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction

33.	Table 13.17	International Convention Centre	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
34.	Table 13.17	Socio-Cultural Centre	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area + Metro Deduction + MLCP Deduction
35.	Table 8.2	District Court, Integrated Office Complex, Government Offices (Central / State Government / Local Bodies)	Parking @ 2.0 ECS / 100 m <sup>2</sup> of built-up area	<b>a) District Court - Parking @ 2.0 ECS / 100 m<sup>2</sup> of built-up area</b> + Metro Deduction + MLCP Deduction <b>b) For Integrated Office Complex, Government offices (Central / State Government / Local Bodies) - Parking @ 1.0 ECS / 100 m<sup>2</sup> of built-up area</b> + Metro Deduction + MLCP Deduction

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6<sup>th</sup> Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx>

[F. No. F.15(01)2021-MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.